सारणियों पर टिप्पणियां

सारणी सं. 1.1

वर्ष 1969 के लिए जनसंख्या समूह के अनुसार बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण वर्ष 1961 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 1998 और 2005 की अवधि के संबंध में यह वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2006 के बाद जनगणना 2001 का आधार लिया है। इस प्रकार बैंक कार्यालयों का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण सभी वर्षों के लिए पूर्ण रुप से तुलना करने योग्य नहीं है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में प्रशासनिक कार्यालय शामिल नहीं हैं। प्रति कार्यालय जनसंख्या और प्रति व्यक्ति जमाराशियां और ऋण महापंजीयक भारत सरकार के कार्यालय द्वारा दिये गये जनसंख्या के अर्ध वार्षिक प्रस्तावित अनुमान के आधार पर हैं।

भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां और ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों के अनुसार हैं और ये संदर्भ अवधि के सूचना देने के अंतिम शुक्रवार से संबधित हैं। जमाराशियां, अंतर बैंक जमाराशियों का कुल और ऋण बैंकों से देय राशि और नयी बिल बाजार योजना के अंतर्गत पुन: भुनाये गये बिलों को छोड़कर है। वर्ष 1999 और 2003 की अवधि के कुल जमाराशियों में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के प्रतिफल रु. 17,945 करोड़ शामिल है। वर्ष 2001 से 2005 तक के कुल जमाराशियों में इंडिया मिलेनियम बॉन्ड की रु. 25662 करोड़ जमाराशियां शामिल हैं। 1998 से 2007 तक अनुपात की गणना के लिए राष्ट्रीय आय की 1993-94 की नयी श्रृंखला आधार वर्ष ली गयी है। वर्ष 1969 की गणना के लिए 1970-71 आधार वर्ष लिया है।

अलग अलग समय पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किये जाने के कारण संपूर्ण कालावधि के लिए ये आंकड़े तुलनीय नहीं हैं। निवेश-जमा अनुपात की गणना करने के प्रयोजन के लिए, 'निवेश का संबंध' सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश से है।

नकदी-जमा अनुपात का हिसाब लगाने के लिए हाथ में नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास के शेष को नकदी में शामिल किया जाता है।

सारणी सं. 1.2

आंकड़े केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सेवा प्राप्त बैंकिंग केंद्रो से ही संबंधित हैं। जनसंख्या समूह का वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

सारणी सं. 1.13 से 1.15, 4.1 से 4.6 और 5.1 से 5.3

सारणियों में दिये गये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण के आंकड़े 2 लाख रुपयों से अधिक ऋण सीमावाले प्रत्येक खाते से संबंधित हैं। सारणी 4.1 से 4.3, 4.6 और 5.3 के लिए आंकड़े, खरीदे और भुनाये गये देशी ओर विदेशी बिलों को छोड़कर हैं। सारणी 5.2 के लिये कुल राशि में विदेशी सरकारों/बैंकों के आंकड़े शामिल है।

सारणी सं. 1.16, 1.17 और 5.8

सारणियों में दिये गये आंकड़े ऋण-सीमा रु. 2 लाख और उससे कम होने वाले ऋण खातों के संबंध में हैं। सारणी 1.16 में लघु उधार खातों के संबंध में दिया ऋण खातों का लिंगवार वर्गीकरण, बैंकों की 61,819 शाखाओं से प्राप्त मूसांवि-1ख विवरणियों पर आधारित हैं।

सारणी सं. 1.21 से 1.24 और 3.4

सारणी 1.21 से 1.24 तक और 3.4 के लिए अलग-अलग व्यक्ति में हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। वैयक्तिक शीर्ष के अंतर्गत संयुक्त खाते के संदर्भ में खाते का पुरुष/महिला श्रेणी के अधीन वर्गीकृत करने के लिए प्रथम खाताधारी का लिंग ध्यान में लिया जाता है। अन्य श्रेणी में सरकारी क्षेत्र, कंपनी क्षेत्र (गैर वित्तीय और बैंकों को छोड़कर वित्तीय क्षेत्र) और अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

सारणी सं. 1.27

उर्वरित परिपक्वता के आधार पर मीयादी जमाराशियों के आंकड़े, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संगणीकृत शाखाओं से संकलित किये गये हैं। यह सारणी 37,248 शाखाओं के आंकडों पर आधारित है।

सारणी सं. 1.28

जिन्होंने मूसांवि-2 विवणियां प्रस्तुत की हैं उन सभी शाखाओं द्वारा मीयादी जमाराशियों के ब्याज दर श्रेणीवार वितरण संबंधी आंकड़े एक समान रुप से सूचित नहीं किये गये हैं। यह सारणी 61,106 शाखाओं द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर संकलित की गयी है।

सारणी सं. 1.29

जमाराशियों के आकार पर दिये गये आंकड़े सभी शाखाओं ने समान रुप से मू.सां.वि.-2 में प्रस्तुत नहीं किये हैं। यह सारणी 57,952 शाखाओं द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर संकलित की गयी है।

मंजूरी की जगह पर आधारित ऋण की सारणियां

सारणी सं. 1.3, 1.5, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3 तथा 2.4 ऋण के मंजूरी की जगह पर आधारित हैं।

उपयोग में लायी गयी जगह के आधार पर ऋण की सारणियां

सारणी सं. 1.10, 1.11, 4.8, 4.9, 4.10, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 ऋण के उपयोग में लायी गयी जगह पर आधारित हैं।

मंजूरी तथा उपयोग में लायी गयी जगह के अनुसार ऋण सारणियां

सारणी सं. 1.6 से 1.8 में मंजूरी तथा उपयोग में लायी गयी जगह के अनुसार ऋण के आंकड़े प्रस्तुत हैं।

परिपक्वता के स्वरुप के आधार पर मीयादी जमाराशियों की सारणियां

सारणी सं. 1.24 से 1.26 तथा 3.4 एवं 3.5 में मूल परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों के आंकड़े प्रस्तुत हैं। सारणी सं. 1.27 में मीयादी जमाराशियों के उर्वरित परिपक्वता के आधार पर प्रतिशत वितरण दिया गया है।